कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 29.06.2024

विषयः-गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें का गैंग लीडर/ वांछित/वारण्टी व 25000/- रूपये का इनामिया अभियुक्त थाना चेतगंज कमि0 पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जनपद में होने वाली वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने एवं चोरी गयी सम्पत्ति की बरामदगी हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी चेतगंज के कुशल नेतृत्व में दिनांक 29.06.2024 को चेतगंज पुलिस टीम द्वारा लंका क्षेत्र के मारुति नगर कालोनी में स्थित गौतम पटेल के मकान से गैंगेस्टर एक्ट के मुकदमें में वांछित/वारण्टी/इनामिया 01 नफर अभियुक्त सत्य नारायण शर्मा उर्फ सत्तू बाबू पुत्र स्व0 माधव प्रसाद उर्फ माधो प्रसाद निवासी CK 7/46 सिद्धेश्वरी चौका लक्ष्मी थाना चौक वाराणसी को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना विवरणः-

थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी पर दिनांक 05.12.2022 को मु0अ0सं0 235/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेंस्टर एक्ट पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक चेतगंज कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त मुकदमें से संबंधित अन्य अभियुक्तगण को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था। अभियोग उपरोक्त में नामजद अभियुक्त सत्य नारायण शर्मा उर्फ सत्तू बाबू पुत्र स्व0 माधव प्रसाद उर्फ माधो प्रसाद निवासी CK 7/46 सिद्धेश्वरी चौका लक्ष्मी थाना चौक वाराणसी फरार चल रहा था। जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। परन्तु अभियुक्त सत्यनारायण शर्मा उर्फ सत्तू बाबू लुक छिप कर रहा था और अपने आपको छिपाये हुए था। अभियुक्त सत्यनारायण शर्मा उपरोक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू निर्गत किया गया था तथा श्रीमान् पुलिस उपायुक्त काशी जोन द्वारा 25000/- रूपये का इनाम घोषित किया गया था। आज दिनांक 29.06.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर थाना चेतगंज की पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना लंका क्षेत्र के मारुति नगर कालोनी में गौतम पटेल के मकान से गिरफ्तार किया गया

पूछताछ विवरण-

अभियुक्त से उसके द्वारा कारित अपराधों के संबंध में पूछने पर अपने जुर्म से इंकार करते हुए अपनी सफाई मा0 न्यायालय में जरिये अधिवक्ता देना बता रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-पता-

1. सत्य नारायण शर्मा उर्फ सत्तू बाबू पुत्र स्व0 माधव प्रसाद उर्फ माधो प्रसाद निवासी CK 7/46 सिद्धेश्वरी चौका लक्ष्मी थाना चौक वाराणसी उम्र 59 वर्ष।

विवरण बरामदगीः- निल

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 29.06.2024 को थाना क्षेत्र लंका के मारूति नगर कालोनी स्थित गौतम पटेल के मकान से

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1. मु0अ0स0 235/2022 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेंस्ट एक्ट थाना जैतपुरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. मु0अ0सं0 152/2021 धारा 419,420,409,120बी भादवि थाना जैतपुरा कमि0 वाराणसी।
3. मु0अ0सं0179/2021 धारा 419,420,504,506,409,120बी भादवि थाना जैतपुरा कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. डा0 आशीष कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक, थाना चेतगंज, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 अजीत प्रताप यादव , थाना चेतगंज, कमिश्नरेट वाराणसी।
3. का0 अभ्युदय सिंह , थाना चेतगंज, कमिश्नरेट वाराणसी।
4. का0 आदर्श सिंह थाना चेतगंज , कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, कार्यालय
काशी-जोन कमि0 वाराणसी